Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 15/20 सी.आई.एस.क्र.– 15/20

गीता देवी बनाम अखिलेश कुमार अकेला एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
06/05/25	वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजिरी है। अन्य प्रतिवादी की कोई पैरवी नहीं है। यह अभिलेख वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 19.11.24 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के कारण वादी नियत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। उक्त दस्तावेज आज दस्तावेज की सूची के साथ प्रस्तुत किया गया है। अतः निवेदन है कि उक्त दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी का उक्त आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणिय नहीं है। जिस कारण से उक्त आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाए। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा दिनांक 19.11.24 को दस्तावेज की सूची के साथ दस्तावेज साक्ष्य के दौरान प्रस्तुत किया गया है। वाद के प्रभावी निराकरण हेतु उभय पक्ष के साक्ष्य को अभिलेख पर लाया जाना न्याय संगत है। अतः न्यायहित में वादी के आवेदन को ग्रहण कर उक्त दस्तावेज को साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद आगामी दिनांक 26.05.25 वादी साक्ष्य हेतु नियत। हस्ताक्षर अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूणियाँ	